

भारत सरकार
आयुष मंत्रालय
(आयुष विकास अनुभाग)

**चिकित्सीय महत्व यात्रा के लिए चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना के तहत कौशल विकास की
केंद्रीय क्षेत्रक योजना**

1. **पृष्ठभूमि:** आयुषमंत्रालय ने कुशल जनशक्ति की उपलब्धता की कमी को पूरा करने के लिए चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना (सीएसएस) के तहत कौशल विकास घटक के साथ एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना - चिकित्सीय महत्व यात्राविकसित की है।

2. **योजना के उद्देश्य:**

- i. आयुष विशिष्ट कुशल मानव संसाधन विकसित करना।
- ii. मौजूदा कुशल मानव संसाधनों की क्षमता बढ़ाना।
- iii. सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना।
- iv. आयुष स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सहायक अवसंरचना विकसित करना।

3. **योजना घटक:**

इस योजना के निम्नलिखित घटक होंगे:

- i. विभिन्न आयुष कौशल पर अल्पकालिक पाठ्यक्रम (3 महीने की अवधि तक)।
- ii. सभी कौशल लघु पाठ्यक्रमों में 30 दिन का व्यावहारिक प्रशिक्षण आवश्यक हिस्सा होगा। एक महीने से अधिक अवधि के पाठ्यक्रमों के लिए, प्रशिक्षण की शेष अवधि कक्षा प्रशिक्षण (ऑनलाइन या भौतिक मोड के जरिए) होगी या स्वयं शिक्षार्जन के रूप में होगी। वजीफा केवल 30 दिन के व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए ही दिया जाएगा।
- iii. मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय संस्थानों (एनआइएस) द्वारा पूर्व शिक्षार्जन की मान्यता (आरपीएल) के उद्देश्य से अलग मॉड्यूल विकसित किए जाएंगे।

4. **कार्यान्वयन का तरीका:**

4.1 इस योजना को आयुष मंत्रालय के अधीन नोडल राष्ट्रीय संस्थानों के माध्यम पूरे भारत में लागू किया जाएगा। नोडल राष्ट्रीय संस्थानों/आयुष मंत्रालय द्वारा आयुष क्षेत्र में कौशल विकास के प्रशिक्षण के लिए पात्र संस्थानों से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाएंगे। इच्छुक संस्थान निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकते हैं।

4.2 **प्रवेश क्षमता:**

- (i) हर बैच में अधिकतम 55 प्रशिक्षुओं को ही प्रवेश दिया जाएगा।
- (ii) आयुष मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय संस्थानों (एनआइएस) द्वारा विकसित किए जाने वाले कौशल पाठ्यक्रम मॉड्यूल में विशिष्ट कौशल पाठ्यक्रम के लिए प्रति बैच प्रशिक्षु की न्यूनतम और अधिकतम संख्या (55 से अधिक नहीं) का उल्लेख किया जाएगा।

4.3 पाठ्यक्रमों का प्रकार: कौशल पाठ्यक्रमों की एक सांकेतिक सूची इस प्रकार है:-

- i. मालिशकर्मी
- ii. प्रकृति विश्लेषक
- iii. मर्म चिकित्सक
- iv. योग चिकित्सा सहायक
- v. आयुर्वेद आहार विशेषज्ञ
- vi. आयुर्वेद आहार और पोषण सहायक
- vii. क्षारकर्म तकनीशियन
- viii. कर्पिंग थेरेपी सहायक
- ix. आयुष पेशेवरों के लिए कौशल संवर्धन कार्यक्रम
- x. आयुष विशिष्ट डिजिटल प्रशिक्षण/पाठ्यक्रम
- xi. आयुष मंत्रालय द्वारा चिह्नित और अधिसूचित कोई अन्य कौशल पाठ्यक्रम

4.4 प्रशिक्षण के तरीके:

- i. कक्षा प्रशिक्षण (ऑनलाइन मोड या फिजिकल मोड)
- ii. स्वयं शिक्षार्जन
- iii. पाठ्यक्रम परिचर्या के अनुसार 30 दिनों का व्यावहारिक प्रशिक्षण

5. योजना की अवधि:

यह योजना प्रारंभ में 31.03.2022 तक जारी रहेगी जिसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से आगे बढ़ाया जा सकता है।

6. (क) प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए आवेदन करने वाले संस्थानों के लिए पात्रता मानदंड।

(i) आयुष मंत्रालय के अधीन सभी स्वायत्त निकाय।

अथवा

(ii) जैसा केंद्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद (नव स्थापित एनसीआईएसएम) और केंद्रीय होम्योपैथी परिषद (नव स्थापित एनसीएच) द्वारा परिभाषित किया जाए। संस्थान के पास पिछले लगातार 3 शैक्षणिक वर्षों के दौरान सीसीआईएम (एनसीआईएसएम)/सीसीएच (एनसीएच) की अनुमति होनी चाहिए।

अथवा

(iii) योग प्रमाणन बोर्ड (वाईसीबी), आयुष मंत्रालय के साथ पंजीकृत संस्थान/संगठन (केवल योग कौशल पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए)।

अथवा

(iv) आयुष मंत्रालय द्वारा चिह्नित कोई सरकारी संस्थान।

(ख) प्रशिक्षकों के लिए पात्रता मानदंड:

जैसा कि आयुष मंत्रालय के अंतर्गत नोडल राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा विकसित पाठ्यक्रम विशिष्ट मॉड्यूल में परिभाषित किया गया है।

7. चयन प्रक्रिया:

अंतिम चयन/स्वीकृति के लिए विचार करने से पहले, आवेदक संगठन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर निम्नानुसार कार्रवाई की जाएगी :

7.1 चरण-I: अनुभाग में प्रस्ताव की प्रारंभिक जांच-

प्राप्त प्रस्ताव (निर्धारित प्रारूप में सभी संलग्नकों और सहायक दस्तावेजों के साथ) का मूल्यांकन मुख्य रूप से तकनीकी समिति (कार्यक्रम प्रबंधन इकाई) द्वारा किया जाएगा। प्रारंभिक जांच में योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार उपयुक्त नहीं पाए गए प्रस्ताव(वों)/आवेदन(नों) को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा और आवेदक संगठन को तदनुसार सूचित किया जाएगा। योजना के सभी दिशा-निर्देशों को पूरा करने वाले उपयुक्त पाए गए प्रस्तावों को परियोजना मूल्यांकन समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

7.2 चरण-II: परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) :

7.2.1 तकनीकी समिति (पीएमयू) द्वारा लघु सूचीबद्ध प्रस्तावों का मूल्यांकन, परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी), जिसका गठन निम्नानुसार होगा, द्वारा किया जाएगा:

क्र.सं.	पीएसी का गठन	हैसियत/पदनाम
i.	सलाहकार	अध्यक्ष
ii.	संबंधित राष्ट्रीय संस्थानों (एनआई) के निदेशक।	सदस्य
iii.	आयुष शिक्षण संस्थान से एक प्रतिनिधि।	सदस्य
iv.	सीसीआईएम (नवगठित एनसीआईएसएम)/सीसीएच (नवगठित एनसीएच)/योग प्रमाणन बोर्ड के प्रतिनिधि के रूप में।	सदस्य
v.	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से एक प्रतिनिधि। (निदेशक/उप सचिव के स्तर से नीचे नहीं)	सदस्य
vi.	स्वास्थ्य क्षेत्र कौशल परिषद के तहत आयुष पर उप परिषद से प्रतिनिधि।	सदस्य
vii.	योजना के प्रभारी निदेशक/उप सचिव/उप सलाहकार (आयुष मंत्रालय)	सदस्य-संयोजक
पीएसी के अध्यक्ष जरूरत पड़ने पर विशेष आमंत्रित(यों) को भी आमंत्रित कर सकते हैं।		

7.2.2 यदि जरूरत पड़ी तो परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) आवेदक संस्था/एजेसी को पीएसी के समक्ष प्रस्तुतीकरण के लिए आमंत्रित कर सकती है।

7.3 चरण-III: परियोजना स्वीकृति समिति (पीएससी) :

7.3.1 पीएसी द्वारा अनुशंसित परियोजना प्रस्तावों पर परियोजना स्वीकृति समिति, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे, द्वारा अंतिम अनुमोदन/स्वीकृति के लिए विचार किया जाएगा:

क्र.सं.	पीएससी का गठन	हैसियत/पदनाम
i.	सचिव (आयुष)	अध्यक्ष
ii.	विशेष सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव, आयुष जो भी मामला हो।	सदस्य
iii.	मंत्रालय के अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार (एएस एंड एफए)	सदस्य

iv.	सलाहकार (पीएसी के अध्यक्ष), आयुष मंत्रालय	सदस्य संयोजक
v.	स्वास्थ्य क्षेत्र कौशल परिषद के तहत आयुष पर उप परिषद के अध्यक्ष।	सदस्य
vi.	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से एक प्रतिनिधि। (निदेशक/उप सचिव के स्तर से नीचे नहीं)	सदस्य

8. वित्तपोषण का तरीका:

8.1 योजना का वित्तपोषण योजना के तहत आवंटित बजट के माध्यम से किया जाएगा।

प्रति प्रशिक्षण कार्यक्रम पर व्यय निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	प्रशिक्षु को दी जाने वाली आर्थिक सहायता	प्रशिक्षण संस्थान को दी जाने वाली वित्तीय सहायता
1.	वजीफा हेतु प्रति प्रतिभागी 5000 रुपये	i. 1 महीने तक की अवधि के पाठ्यक्रम के लिए -1 लाख रुपये ii. 1 महीने से अधिक से लेकर 2 महीने की अवधि तक के पाठ्यक्रम के लिए - 2 लाख रुपये iii. 2 महीने से अधिक से लेकर 3 महीने तक के पाठ्यक्रम के लिए - 3 लाख रुपये
2.	भोजन हेतु प्रति प्रतिभागी 3500 रुपये	
3.	पुस्तकों हेतु प्रति प्रतिभागी 500 रुपये	
कुल प्रति छात्र	9000 रुपये (प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा होने और पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद दिए जाएंगे)	

8.2 03 वर्ष की अवधि में चयनित केंद्रों पर कुल 1818 कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

टिप्पणी: उपर्युक्त आंकड़े अनंतिम हैं और प्रतिबंधात्मक नहीं हैं। आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षणों की संख्या रुचि अभिव्यक्ति के अनुसार घट-बढ़ सकती है और ये परस्पर पर अदल-बदल कर भी हो सकते हैं।

9. आवेदन हेतु प्रक्रिया:

(क) संस्था/एजेंसी द्वारा: आवेदक संस्था निर्धारित प्रारूप में पूर्ण आवेदन जमा करेगी (केवल एक प्रति ऐसी हो जिसमें पृष्ठ संख्या डाली गई हो और स्पाइरल बाइंडिंग लगी हो)। आवेदन ई-मेल के माध्यम से पीडीएफ प्रारूप में भी भेजे जाएं।

(ख) प्रशिक्षुओं द्वारा: प्रशिक्षु सीधे संस्था में आवेदन करेंगे। संस्था शॉर्टलिस्ट किए गए प्रशिक्षुओं का डाटा स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र कौशल परिषद के पोर्टल पर अपलोड करेंगे।

10. निधियों को जारी करना:

10.1 प्रशिक्षण कार्यक्रम के संतोषजनक और सफलतापूर्वक पूरा होने और प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद प्रतिभागियों को वजीफा, भोजन, स्टेशनरी और पुस्तकों की राशि वितरित की

जाएगी। वजीफे का वितरण आयुष मंत्रालय के तत्वावधान में नोडल राष्ट्रीय संस्थान द्वारा प्रशिक्षण संस्थानों के समन्वय से विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा।

10.2 (i) आयुष मंत्रालय संबंधित नोडल राष्ट्रीय संस्थानों को कार्यकलाप शुरू करने के लिए अग्रिम रूप से धनराशि जारी करेगा। इसके लिए, राष्ट्रीय संस्थान (एनआइएस) आयुष मंत्रालय को मांग पत्र भेजेंगे।

(ii) राष्ट्रीय संस्थानों (एनआइएस) द्वारा मंत्रालय को भेजे गए विभिन्न संस्थानों के प्रस्तावों को मंजूरी मिलने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू होने पर संबंधित नोडल राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा चयनित प्रशिक्षण संस्थानों/एजेंसियों को कुल प्रशासनिक लागत का 75 प्रतिशत जारी किया जाएगा।

(iii) शेष 25 प्रतिशत, प्रशिक्षण के सफल समापन के बाद संबंधित नोडल राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा जारी किया जाएगा बशर्ते कि सामान्य जांच और कोडल औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हों।

11. प्रशिक्षण देने में शामिल चयनित प्रशिक्षण संस्थानों/एजेंसियों की भूमिका और जिम्मेदारी:

- i. आयुष मंत्रालय द्वारा अनुमोदित दिशा-निर्देशों और पाठ्यक्रम के अनुसार नियमित आधार पर और अनुकूल वातावरण में विनियमित तरीके से प्रशिक्षण का संचालन करना।
- ii. प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन के लिए अनिवार्य नियामक और अन्य निर्धारित आवश्यकताओं का पालन करना।
- iii. आयुष मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप दिए गए प्रतिभागियों को सभी आवश्यक लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करना।
- iv. आयुष मंत्रालय के अंतर्गत चिन्हित नोडल राष्ट्रीय संस्थान को प्रशिक्षुओं का डाटा उपलब्ध कराना और आयुष मंत्रालय द्वारा निर्धारित पोर्टल पर डाटा अपलोड करना।
- v. यह सुनिश्चित करना कि आयुष क्षेत्र में प्रशिक्षण के संचालन के लिए भलीभांति प्रशिक्षित जनशक्ति, बुनियादी ढांचा, उपकरण, प्रयोगशालाओं आदि सहित सभी जरूरी चीजें मौजूद हैं।
- vi. कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने वाले संस्थान प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम के पूरा होने के बाद प्रतिभागियों से विधिवत रूप से भरे गए फीडबैक फॉर्म प्राप्त करेंगे और इन फीडबैक फॉर्म को आयुष मंत्रालय द्वारा यथा नामोद्विष्ट/नामित संबंधित नोडल राष्ट्रीय संस्थान(नों) या प्राधिकरण को आगे की कार्रवाई के लिए प्रस्तुत करेंगे।
- vii. आयुष मंत्रालय द्वारा यथा गठित निरीक्षण निकाय/दल द्वारा प्रशिक्षण संस्थान/केंद्र के निरीक्षण के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करना।
- viii. सभी संलग्नकों के साथ विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करना (निर्धारित प्रारूप में)।
- ix. इस आशय का विधिवत नोटरी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना कि आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख को आवेदक एजेंसी के विरुद्ध किसी कानूनी या अन्य विनियामक प्राधिकरण द्वारा कोई आपराधिक कार्यवाही या अन्यथा लंबित या विचाराधीन नहीं है/काली सूची में नहीं है।
- x. नियम और शर्तों का पालन करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना।
- xi. यह सुनिश्चित करना कि प्रशिक्षण की गुणवत्ता उच्च मानकों की है।

12. योजना का प्रबंधन:

12.1 यह योजना आयुष मंत्रालय, नई दिल्ली में स्थापित केंद्रीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (सीपीएमयू), जिसके पास तकनीकी और प्रशासनिक दोनों जनशक्ति पर्याप्त संख्या में है, द्वारा लागू, प्रबंधित, निगरानी और संचालित की जाएगी। सीपीएमयू का ब्यौरा संलग्नक-च पर है।

13. निगरानी तंत्र:

- क. संस्थानों/एजेंसियों को पैनल में से प्रशिक्षण देने के द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम की निगरानी आयुष द्वारा अपने विभिन्न कार्यालयों के माध्यम से या किसी एजेंसी को शामिल करके किया जाएगा।
- ख. नोडल राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा गठित निगरानी दल ऐसे माध्यमों और संसाधनों के जरिए यह सुनिश्चित करेगा कि स्वतः आधार पर इस योजना के तहत प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं/एजेंसियों/प्रशिक्षण केंद्रों आदि द्वारा कौशल निर्धारण कार्यक्रमों को समुचित रूप से कार्यान्वित किया जाता है।
- ग. यह टीम सुनिश्चित करेगी कि आयुष मंत्रालय द्वारा अनुमोदित दिशा-निर्देशों और पाठ्यक्रम के अनुसार प्रस्तावित कौशल विकास प्रशिक्षणों का संचालन किया जाता है।
- घ. टीम यह सुनिश्चित करेगी कि प्रशिक्षण विनियमित तरीके से और अनुकूल वातावरण में आयोजित किया जाता है।

14. तकनीकी सलाहकार पैनल:

14.1 आयुष पद्धतियों के विभिन्न विषयों और केंद्र/राज्य मंत्रालयों/विभागों, प्रशिक्षण देने वाले संस्थानों के तकनीकी विशेषज्ञों का एक पैनल भी बनाया जाएगा। ऐसे विशेषज्ञों की सेवाओं का उपयोग समय-समय पर और मामले के आधार पर सलाह के लिए किया जाएगा। उनके द्वारा दी गई सेवाओं के लिए मानदेय और यात्रा व्यय भी, यदि कोई हो, भारत सरकार के नियमों के अनुसार प्रदान किया जाएगा।

15. परियोजना को पूरा करने के लिए समय सारणी:

- 15.1 यह योजना वर्तमान में 31.03.2022 तक वैध है और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद इसे आगे बढ़ाया जा सकता है।
- 15.2 मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थान की यह जिम्मेदारी होगी कि वह संबंधित पाठ्यक्रम में यथा परिभाषित प्रत्येक प्रकार के पाठ्यक्रम के लिए समय सारणी का पालन करे।

16. अपवाद खंड:

- 16.1 जब निजी प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के मौजूदा प्रावधानों के तहत पैनल में शामिल प्रशिक्षण संस्थान(नों)/एजेंसी(यों) द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जाता है, तो प्रशिक्षण संस्थानों के लिए अनिवार्य/बाध्यकारी होगा कि वे प्रशिक्षण कार्यक्रम(मों) को अंतिम रूप से और निर्धारित समय से पूरा करे।
- 16.2 आयुष मंत्रालय के पास धोखाधड़ी या गलत बयानी और भ्रष्ट आचरण के आधार पर प्रशिक्षण संस्थान को विवर्जित करने का अधिकार होगा। ऐसे संस्थानों का पैनल निलंबित कर दिया जाएगा।

और प्रशिक्षण कार्यक्रम को तत्काल रोक दिया जाएगा और आगे जैसा कि उचित समझा जाए, विधिसम्मत कार्रवाई भी की जाएगी।

16.3 पैनल में शामिल प्रशिक्षण संस्था(ओं) द्वारा किसी भी अनधिकृत आचरण पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। मंत्रालय को ऐसे प्रशिक्षण संस्थानों के पैनल को निलंबित करने का अधिकार होगा।

17. लाभ:

कौशल विकास प्रशिक्षण से प्रतिभागियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर निजी और सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्राप्त करने में सुविधा होगी।

18. दण्ड:

यदि शपथ पत्र का उल्लंघन करते हुए या शपथ पत्र के किसी प्रावधान के उल्लंघन के मामले में, पैनल में शामिल प्रशिक्षण संस्था(एं) प्रशिक्षण कार्यक्रम(मों) को अंतिम रूप से और निर्धारित समय से पूरा नहीं करती है/हैं, अपनी गतिविधियों को समय से पहले समाप्त कर देती है/हैं, बिना सूचना के समाप्त कर देती है/हैं, या गोपनीयता खंड सहित समझौते में निर्धारित दायित्वों का उल्लंघन, यदि कोई हो, करती है/हैं, तो संस्थाओं को आयुष मंत्रालय, भारत सरकार से उस तिथि तक प्राप्त धनराशि के बराबर जुर्माना देना होगा साथ ही खातों के निपटारे की तारीख तक उक्त राशि पर दंड स्वरूप 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज भी देना होगा और यह भी कि आयुष मंत्रालय को शपथ पत्र के प्रचलन के दौरान उसे हुए और अधिक नुकसान का दावा करने का अधिकार होगा। संस्थान को काली सूची में भी डाला जाएगा।

19. न्यायालय क्षेत्राधिकार:

विवाद का यदि कोई मामले हो तो, वह दिल्ली/नई दिल्ली की अदालत के अनन्य क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।

20. विधिवत रूप से पूर्ण आवेदन निम्नलिखित को भेजा जाएगा:

(i) सलाहकार (आयुर्वेद), चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना चिकित्सीय महत्व यात्रा, आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय, कमरा नंबर 207, द्वितीय तल, आयुष भवन, बी-ब्लॉक, जीपीओ कॉम्प्लेक्स, आईएनए, नई दिल्ली-110023।

अथवा

(ii) संबंधित नोडल राष्ट्रीय संस्थान(नों) को।

* **

प्रस्ताव में शामिल किए जाने वाले बिंदुओं/सूचना की सूची:

1. शिक्षण/प्रशिक्षण संस्थान का प्रोफाइल:

- I. प्रस्तावित शिक्षण/प्रशिक्षण संस्थान (नों) के नाम और संक्षिप्त प्रोफाइल और संपर्क विवरण।
- II. प्रस्तावित शिक्षण/प्रशिक्षण संस्थान के मौजूदा कार्यों की प्रकृति और स्थान। प्रस्तावित शिक्षण/प्रशिक्षण संस्थान (नों) का मूलाधार/कनेक्टिविटी की उपलब्धता और छात्रों की पहुंच के संदर्भ में स्थान।
- III. कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन के लिए बुनियादी ढांचे की उपलब्धता।
- IV. पिछले 5 वर्षों का लेखा परीक्षित तुलन-पत्र या चार्टर्ड एकाउंटेंट (सीए) का प्रमाण पत्र जिससे प्रत्येक प्रस्तावित शिक्षण/प्रशिक्षण संस्थान का शुद्ध मूल्य प्रमाणित होता हो।
- V. इस आशय का एक संक्षिप्त नोट कि प्रस्तावित शिक्षण/प्रशिक्षण संस्थान इस परियोजनाको शुरू करने, अपने दृष्टिकोण को आगे ले जाने आदि के लिए क्यों उत्सुक है/हैं।
- VI. शिक्षण/प्रशिक्षण संस्थान (नों) के पास आवास उपलब्ध होने के मामले में, बिक्री विलेख/पट्टा विलेख आदि के रूप में आवास के कब्जे का प्रमाण।
- VII. कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी जो योजना के संदर्भ में प्रस्तावित शिक्षण/प्रशिक्षण संस्थान की साख और उपयुक्तता प्रमाणित करती हो।

2. परियोजना वित्त:

योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन के लिए आवश्यक कुल वित्तीय सहायता की राशि 3.00 लाख रुपये (तीनलाख रुपये) प्रति प्रशिक्षण से अधिक नहीं है।

3. प्रस्ताव के मूल्यांकन के लिए मानदंड:-

- I. शिक्षण/प्रशिक्षण संस्थान की अवसंरचना के संदर्भ में भूमि, भवन और स्थान।
- II. मुख्य सुविधाओं के संचालन, जनशक्ति की उपलब्धता (सुयोग्य और विशेषज्ञ शिक्षण/प्रशिक्षण संकाय) और सहायक कर्मचारियों के संदर्भ में शिक्षण/प्रशिक्षण संस्थान की परियोजना की व्यवहार्यता।
- III. विभिन्न केंद्रीय/राज्य मंत्रालयों/विभागों आदि के विगत के और मौजूदा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन में शिक्षण/प्रशिक्षण संस्थान का अनुभव और उसकी स्थिति।
- IV. पिछले 05 वर्षों के दौरान प्लेसमेंट सहित प्रशिक्षण संस्थानों की प्रमुख उपलब्धियां।

चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना के तहत आयुष क्षेत्र में कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए संस्था को पैनल में शामिल करने के लिए आवेदन पत्र

1. संगठन/संस्था का नाम:
2. पता/ई-मेल/फोन:
3. रजिस्ट्रेशन नं. और तारीख: (सोसायटी/गैर-सरकारी संगठन/ट्रस्ट/कंपनी अधिनियम के रूप में)
4. पिछले पांच वर्षों के लेखा परीक्षित वार्षिक खातों का सार:
5. आयोजित किए जाने वाले कौशल विकास कार्यक्रम का नाम:
6. संलग्नक-छ के अनुसार प्रस्ताव का बिंदुवार कार्यकारी सारांश (पांच पृष्ठों से अधिक नहीं)।
7. संलग्नक-ग में जांच-सूची के अनुसार दस्तावेज।
8. संस्था की स्थापना का वर्ष।

हस्ताक्षर
(संगठन के प्रमुख/अधिकृत अधिकारी का नाम और मुहर)

संलग्नक-ग

जांच सूची

चिकित्सा मूल्य यात्रा के लिए चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना के तहत कौशल विकास हेतु केंद्रीय क्षेत्रक योजना (कृपया संबंधित कॉलम में प्रस्ताव के साथ संलग्न दस्तावेजों (हां/नहीं) पर सही का निशान लगाएं)

क्रम	दस्तावेजों/सूचनाओं की सूची	दस्तावेज (ओं)	यदि कोई
------	----------------------------	---------------	---------

सं.	(दस्तावेज संलग्न किए जाने हैं)	की जानकारी दी गई		टिप्पणी हो। कोई भी
		हां	नहीं	पृष्ठ सं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	निर्धारित प्रारूप में आवेदन।			
2.	सोसायटी पंजीकरण अधिनियम / ट्रस्ट / कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति			
3.	संस्थान के उपनियमों की सत्यापित प्रति।			
4.	आवेदक की आय और व्यय, संपत्ति, देनदारियों को दर्शाने वाले पिछले 5 वर्षों के खातों के लेखा परीक्षित विवरण की सत्यापित प्रतियां जो प्रशिक्षण के निवल मूल्य को स्थापित करती हों।			
5	केंद्र / राज्य सरकार / नियामक निकाय के साथ शिक्षण / प्रशिक्षण संस्थान के रूप में पंजीकरण का प्रमाण पत्र।			
6	योजना के सभी नियम व शर्तों के अनुपालन, स्वीकृति पत्र, जीएफआर, घटकवार अनुमोदित परियोजना लागत और परियोजना के तहत हासिल किये जाने वाली वर्षवार प्रदेयताओं की 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर विधिवत नोटरी किये बंध-पत्र। बंध-पत्र की वैधता 3 वर्ष से कम की नहीं होनी चाहिए। (संलग्नक-घ)			
7	स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं/क्षेत्र (आयुष क्षेत्र सहित) में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने में प्रशिक्षण संस्थान के अनुभव का प्रमाण पत्र।			
8.	100/- रु. के स्टाम्प पेपर पर विधिवत नोटरी प्रमाण पत्र कि अनुबंध-ड में दिए गए प्रारूप के अनुसार किसी कानूनी या अन्य प्राधिकारी/नियामक प्राधिकारी द्वारा कोई आपराधिक कार्यवाही या अन्यथा लंबित या विचारित नहीं है।			
9.	पिछले 1 वर्ष के बैंक विवरण सहित खाते का विवरण.			
10.	परियोजना विवरण, स्वीकृतियों का विवरण और तिथि (ओं) आदि और उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी)/उसकी वर्तमान स्थिति के विवरण के साथ सरकार/विदेश सरकार से ली गई कोई भी सहायता/जीआईए;			

11.	मौजूदा बुनियादी ढांचे का विवरण:						
12.	तकनीकी और अन्य कार्यों का विवरण;						
	क्रम सं.	नाम	पदनाम	तैनाती की तारीख			
13.	पिछले पांच वर्षों के दौरान संगठन की पिछली गतिविधियां और उपलब्धियां (वर्ष-वार)						
14.	इस बात का औचित्य कि क्यों प्रस्तावित शिक्षण/प्रशिक्षण संस्थान/इस परियोजना को शुरू करने का/के इच्छुक है/हैं, उनका दृष्टिकोण आदि।						
15.	संगठन/संस्थान के पास उपलब्ध आवास के मामले में बिक्री विलेख/पट्टा विलेख के रूप में भूमि/आवास के कब्जे का प्रमाण।						
16.	विजली, पानी, शिक्षण संकाय, सहायक स्टाफ, उपकरण/प्रयोगशाला आदि सहित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन के लिए अन्य बुनियादी ढांचे की उपलब्धता का प्रमाण।						
17.	सड़क, रेल, हवाई और जलमार्ग से कनेक्टिविटी की उपलब्धता और छात्रों की आमद के संदर्भ में प्रस्तावित शिक्षण / प्रशिक्षण संस्थान की जगह का औचित्य।						
20.	योजना दिशानिर्देशों के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए आवश्यक कुल वित्तीय सहायता की राशि।						
21.	कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी जो योजना के संदर्भ में संस्थान की साख और उपयुक्तता स्थापित करें।						

संलग्नक- घ

(100 रुपये के स्टॉप पेपर पर प्रस्तुत किया जाएगा)

बंध-पत्र का प्रारूप

इस बंध-पत्र द्वारा सभी को ज्ञात हो कि हम, _____

_____ (पंजीकरण प्रमाणपत्र के अनुसार संगठन का नाम),
जो _____ (पंजीकरण अधिनियम का नाम) के
अधीन पंजीकृत एक संगठन है जिसे _____ (पंजीकरण प्राधिकरण का
नाम और पूरा पता) के कार्यालय द्वारा पंजीकरण संख्या _____ दिनांक _____ के तहत
पंजीकृत किया गया है और जिसका कार्यालय _____ राज्य
में _____ स्थित है (जिसे इसमें आगे बाध्यताधारी कहा गया है)
दिनांक के आवेदन द्वारा आवेदित (अंकों में) रुपए _____ . (शब्दों में) रुपए की संपूर्ण राशि के लिए इस
बंध-पत्र को आयुष मंत्रालय के पक्ष में निष्पादित करने हेतु भारत के राष्ट्रपति (जिसे इसमें आगे भारत
सरकार कहा गया है) के प्रति वचनबद्ध और दृढ़तापूर्वक आबद्ध हैं।

तथापि, यह बाध्यताधारी प्रस्तावित राशि या सरकार द्वारा अनुमोदित/स्वीकृत किसी अन्य राशि को स्वीकार करने के लिए तैयार है। बाध्यताधारी स्वेच्छा से प्रस्तावित राशि के इस बंध-पत्र को इस शर्त के साथ निष्पादित कर रहा है कि बाध्यताधारी इस राशि तक या सरकार द्वारा अनुमोदित/स्वीकृत वास्तविक राशि, जो भी कम हो, के लिए बाध्यकारी होगा। बाध्यताधारी जीएफआर के अनुसार या अन्यथा अनुमोदित परियोजना लागत और वर्षवार वितरण प्राप्त करने के लिए स्वीकृत पत्र में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों को स्वीकार करने के लिए भी तैयार है, जिसमें सरकार द्वारा जारी की जाने वाली पूरी स्वीकृत राशि को 12 प्रतिशत प्रति वर्ष (बारह प्रतिशत प्रति वर्ष) ब्याज के साथ धन के दुरुपयोग/अन्यत्र उपयोग या किसी अन्य कारण से ब्याज के साथ वापस करना शामिल है।

2. उक्त बाध्यता की शर्त यह है कि यदि बाध्यताधारी स्वीकृति पत्र में उल्लिखित सभी शर्तों को सम्यकतः पूरा करते हैं और उसका अनुपालन करते हैं, तो उक्त लिखित बंध-पत्र या बाध्यताएं शून्य और निष्प्रभावी हो जाएंगी अन्यथा, यह पूर्णतः प्रवृत्त और बलशील रहेंगी। यदि अनुदान/जारी की गई धनराशि का कोई भाग उस अवधि के, जिसके भीतर उसका खर्च किया जाना है, अवसान के पश्चात् शेष रह जाता है तो, बाध्यताधारी ऐसे अवशेष की राशि को प्रति वर्ष 12 प्रतिशत (बारह प्रतिशत) की दर से ब्याज सहित प्रतिदाय करने का करार करते हैं, जब तक कि स्वीकृति देने वाला प्राधिकारी इसे अगले वित्तीय वर्ष में शामिल करने के लिए सहमत न हो। अनुदान की राशि उस पर अर्जित ब्याज के साथ वापस की जाएगी।

3. संगठन/सोसायटी/न्यास यह करार और वचन-बंध करता है कि वह भारत सरकार को ऐसे धन संबंधी मूल्य या अन्य लाभ अभ्यर्पित/संदत्त कर देगा जो उसे परिसर का अनधिकृत प्रयोग (जैसे परिसर को पर्याप्त या पर्याप्त से कम प्रतिफल पर किराए पर देना या परिसर का किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग) करने से, और धनराशि का उस प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन हेतु प्रयोग करने से, जिसके लिए अनुदान सहायता/जारी धनराशि आशयित थी (अर्थात् वह राशि जो परियोजना/अवसंरचना/उपकरण/जनशक्ति आदि की स्थापना के लिए जारी की गई थी) या सरकारी अनुदान/जारी धनराशि से मुख्य रूप से सृजित/अधिग्रहीत/निर्मित अन्य परिसंपत्तियों से, प्राप्त या व्युत्पन्न होते हों/के माध्यम से प्राप्त या व्युत्पन्न हुए हों। सरकार को अभ्यर्पित/संदत्त किए जाने वाले पूर्वोक्त धन संबंधी मूल्य के सभी मामलों में आयुष मंत्रालय में भारत सरकार के सचिव या संबंधित विभाग के प्रशासनिक प्रमुख का विनिश्चय अंतिम और संगठन/सोसायटी/न्यास पर बाध्यकारी होगा।

4. अनुदानग्राहियों की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष/सचिव/सदस्य:-

(क) स्वीकृति पत्र में निर्दिष्ट लक्ष्य तिथियों द्वारा जारी अनुदान सहायता/ धनराशि की शर्तों का पालन करेंगे; और

(ख) अनुदान का भिन्न प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं करेंगे या योजना का निष्पादन या संबंधित कार्य अन्य संस्था/संस्थाओं या संगठन/संगठनों को नहीं सौंपेंगे; और

(ग) जारी की गई अनुदान-सहायता/धनराशि को अधिशासित करने वाले समझौते में निर्दिष्ट किसी भी अन्य शर्तों का पालन करेंगे।

5. और यह बंध-पत्र इस बात का भी साक्षी है कि:-

इस पत्र पर कि स्वीकृति पत्र में उल्लिखित किसी निबंध या शर्त या भाग का अतिक्रमण हुआ है या नहीं, आयुष मंत्रालय में भारत सरकार के सचिव का विनिश्चय अंतिम और बाध्यताधारियों पर आबद्धकर होगा; और

इसके साक्ष्य स्वरूप, यह बंध-पत्र बाध्यताधारियों के शासी निकाय/कार्यकारी समिति द्वारा पारित संकल्प संख्या -----तिथि----- के अधीन और उसके अनुसरण में बाध्यताधारियों की ओर से ऊपर लिखी तारीख को निष्पादित किया गया।

वर्ष _____ की _____ तारीख को हस्ताक्षरित

हस्ताक्षर _____

अध्यक्ष/सचिव का नाम _____

तिथि और स्टांप _____

पंजीकृत रूप में बाध्यताधारी संघ का नाम.

पूर्ण डाक पता _____

टेलीफोन नंबर/मोबाइल नं. _____

ईमेल पता _____ फैक्स नंबर.

(की उपस्थिति में) गवाह का नाम, पता, हस्ताक्षर और तारीख.

टिप्पणी: प्रत्येक पृष्ठ पर तारीख के साथ अनुदानग्राही के अध्यक्ष या सचिव के हस्ताक्षर और मुहर लगी होनी चाहिए।

आयुष मंत्रालय के आधिकारिक उपयोग के लिए
भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से स्वीकार किया गया
हस्ताक्षर

अवर सचिव, भारत सरकार

संलग्नक- ड

संगठन के प्रमुख से आवेदन के साथ अधोलिखित प्रमाण पत्र आवश्यक है

प्रमाणित किया जाता है कि:

क. संगठन आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी सभी 'नियमों और शर्तों' का पालन करेगा।

ख. परियोजना से संबंधित सभी रिकॉर्ड और रिपोर्ट अलग-अलग रखे गये हैं और आयुष मंत्रालय या इसके अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा जब भी आवश्यक हो, दिखाया और प्रस्तुत किया जाएगा।

ग. आयुष मंत्रालय के विवेक पर परियोजना भौतिक प्रगति के मूल्यांकन और निधियों के उपयोग के लिए खुली होगी।

घ. अधोहस्ताक्षरी आवेदन और प्रस्ताव में दी गई जानकारी और दस्तावेजों की प्रामाणिकता के लिए जिम्मेदार होंगे।

ङ. आयुष मंत्रालय को परियोजना के अनुदान की मंजूरी के नियमों और शर्तों से किसी भी चूक या विचलन के लिए वित्तीय सहायता की राशि जारी करने की तारीख से 12% ब्याज के साथ प्रदान की गई वित्तीय सहायता की वसूली का अधिकार होगा और किसी मामले या तथ्यों और परिस्थितियों में उचित समझे जाने पर कोई अन्य कार्रवाई भी कर सकेगा।

च. लेखा:- परियोजना के लिए अलग लेखा रखा जायेगा।

छ. किसी भी कानूनी या अन्य प्राधिकारी द्वारा कोई आपराधिक कार्यवाही लंबित या अन्यथा लंबित या विचाराधीन नहीं है।

हस्ताक्षर

संगठन के प्रमुख का नाम और मोहर

फोन नंबर.....

फैक्स नंबर.....

ईमेल:-----

संलग्नक-च

केंद्रीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (सीपीएमयू) की संरचना

क्रम सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	मासिक पारिश्रमिक (रुपये में.)	आयु सीमा	मासिक पारिश्रमिक (रुपये में)
1.	वरिष्ठ कार्यक्रम प्रबंधक (तकनीकी)	01	75000/- संतोषजनक	समाचार पत्र में विज्ञापन की	आईएमसीसीअधिनियम, 1970 / एचसीसीअधिनियम, 1973 के तहत

			निष्पादन के आधार पर 05 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि का प्रावधान सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किया जाएगा।	तिथि से 50 वर्ष से अधिक नहीं	मान्यता प्राप्त संस्थान / विश्वविद्यालय से आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी किसी भी प्रणाली में स्नातकोत्तर और आईएसएम / होम्योपैथी के लिए राज्य रजिस्टर में नामांकित हों। वांछनीय: i. स्वास्थ्य क्षेत्र कौशल परिषद या शैक्षिक प्रशिक्षण महानिदेशालय में काम करने का 2 साल का अनुभव ii. राज्य विभाग / मंत्रालय / अनुसंधान परिषद / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में काम करने 2 साल का अनुभव।
2.	कनिष्ठ कार्यक्रम प्रबंधक (तकनीकी)	02	50000/- संतोषजनक निष्पादन के आधार पर 05 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि का प्रावधान सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किया जाएगा।	समाचार पत्र में विज्ञापन की तिथि से 50 वर्ष से अधिक नहीं	आवश्यक योग्यता: आईएमसीसी अधिनियम, 1970 / एचसीसी अधिनियम, 1973 के तहत मान्यता प्राप्त संस्थान / विश्वविद्यालय से किसी भी आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी प्रणाली में स्नातक और आईएसएम / होम्योपैथी के लिए राज्य रजिस्टर में नामांकित हों। वांछनीय: किसी भी राज्य विभाग/मंत्रालय/अनुसंधान परिषदों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 3 साल तक काम करने का अनुभव।
3.	कार्यक्रम प्रबंधक (प्रशासनिक)	02	50000/- संतोषजनक निष्पादन के आधार पर 05 प्रतिशत वार्षिक	समाचार पत्र में विज्ञापन की तिथि से 50 वर्ष से अधिक नहीं	आवश्यक योग्यता: एमबीए (एचआर/विदेशी व्यापार/पर्यटन/अंतर्राष्ट्रीय व्यापार) -02

			वृद्धि का प्रावधान सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किया जाना है।		वांछनीय: विशेषज्ञता के इस संबंधित क्षेत्र में किसी भी राज्य विभाग / मंत्रालय / अनुसंधान परिषदों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 2 साल के लिए काम करने का अनुभव।
4.	डेटा सहायक	01	20000/- संतोषजनक निष्पादन के आधार पर 05 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि का प्रावधान सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किया जाना है।	समाचार पत्र में विज्ञापन की तिथि को 40 वर्ष से अधिक नहीं	आवश्यक योग्यता: i. कंप्यूटर एप्लीकेशन / आईटी के अच्छे ज्ञान के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से स्नातक। ii. एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, एमएस पावर प्वाइंट और एमएस एक्सेल और अन्य कंप्यूटर अनुप्रयोगों का ज्ञान। iii. अच्छी टाइपिंग स्पीड यथा अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट और हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट।
5.	मल्टी-टास्किंग स्टाफ (एमटीएस)	01	16000/- संतोषजनक निष्पादन के आधार पर 05 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि का प्रावधान सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किया जाना है।	समाचार पत्र में विज्ञापन की तिथि से 40 वर्ष से अधिक नहीं	योग्यता: किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 या समकक्ष

टिप्पणी: लागू होने पर टीडीएस और अन्य कर लगाए जाएंगे।

अधिशाली सारांश प्रपत्र:

1. संस्थान का नाम
2. संपर्क विवरण
3. संबद्धता
4. स्थापना का वर्ष
5. कौशल विकास प्रशिक्षण आयोजित करने का पिछला अनुभव, यदि हां, तो उसका विवरण।
6. क्या स्वयं का एएसयू एंड एच अस्पताल है या प्रशिक्षण देने के लिए किसी एएसयू एंड एच अस्पताल के साथ गठजोड़ है।
7. पिछले पांच वर्षों का लेखा परीक्षित खाता पत्रक।
8. पिछले एक साल का खाता विवरण।
9. उस पाठ्यक्रम का नाम जिसमें कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाना है
10. कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए संबंधित विभाग में उपलब्ध अवसंरचना/जनशक्ति।
11. क्या आवास की सुविधा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

Government of India
Ministry of AYUSH
(AYUSH Development Section)

**Central Sector Scheme for Skill Development under Champion Services Sector Scheme for
Medical value Travel**

1. Background: M/o AYUSH has developed a Central Sector Scheme under Champion Services Sector Scheme (CSSS) –Medical Value Travel with component of Skill Development to fill the gap in the availability of skilled manpower.

2. Objectives of the Scheme:

- i. To develop AYUSH specific skilled human resource.
- ii. Capacity building of existing skilled human resources.
- iii. To promote Export of Services.
- iv. To develop supporting structure for AYUSH health services.

3. Scheme Component:

The scheme will have following components:

- i. Short term courses on various AYUSH skills (up to 3 months duration).
- ii. 30 days practical training shall be the essential component in all the skilling short courses. For the courses of duration longer than one month, remaining period of the training will be classroom training (through online or physical mode) or self learning. Stipend will be given only for 30 days practical training.
- iii. Separate modules for the purpose of Recognition of Prior Learning (RPL) will be developed by the National Institutes (NIs) under Ministry.

4. Mode of Implementation:

4.1 The scheme will be implemented on pan India basis through the Nodal National Institutes under Ministry of AYUSH. Proposals from eligible institutes for conducting training for skill development in AYUSH sector would be invited by Nodal National Institutes / Ministry of AYUSH .Those interested may apply in the prescribed format.

4.2 Intake capacity:

- (i) There will be an intake capacity of maximum 55 trainees in every batch.

- (ii) The minimum and maximum (not more than 55) number of trainee per batch for the specific skilling course will be mentioned in the skill courses modules to be developed by National Institutes (NIs) under Ministry of AYUSH.

4.3 Type of courses: An indicative list of skill courses is as follows:-

- i. Masseurs
- ii. Prakiti Analysts
- iii. Marma therapists
- iv. Yoga Therapy Assistant
- v. Ayurveda Dietician
- vi. Ayurveda Aahar and Poshansahayak
- vii. Kshara karma technician
- viii. Cupping therapy assistant
- ix. Up skilling program for AYUSH professionals
- x. AYUSH specific digital training /Courses
- xi. Any other skilling course identified and notified by Ministry of AYUSH

4.4 Methods of training:

- i. Classroom Training(online mode or Physical mode)
- ii. Self learning
- iii. Practical training of 30 days as per the course curriculum

5. Duration of the scheme:

The Scheme is initially operational up to 31.03.2022 which may be further extended with the approval of the Competent Authority.

6. (A) Eligibility Criteria for Institutions applying for training programs.

- (i) All Autonomous bodies under Ministry of AYUSH.

OR

- (ii) As defined by Central Council of Indian Medicine (Newly established NCISM) and Central Council for Homeopathy (Newly established NCH). The institute should have permission of CCIM (NCISM)/CCH (NCH) during last 3 consecutive academic years.

OR

- (iii) Institutions / Organization's registered with Yoga Certification Board(YCB), Ministry of AYUSH (for conducting Yoga skill courses only).

OR

- (iv) Any Government Institute as identified by the Ministry of AYUSH.

(B) Eligibility criteria for trainees:

As defined in the course specific module developed by Nodal National Institutes under Ministry of AYUSH.

7. Selection Process:

Before consideration for final selection/sanction, the proposal submitted by the applicant organization will be subject to the following process:

7.1 STEP-I: Initial Examination of the Proposal in the Section-

The proposal received (in the prescribed format with all enclosures and supporting document) will be primarily evaluated by Technical Committee (Program Management Unit). The proposal(s)/ application(s) not found suitable in accordance with the scheme guidelines at initial examination will be summarily rejected and applicant organization will be informed accordingly. The proposal(s) found suitable meeting all the Scheme Guidelines will be placed before the Project Appraisal Committee for its consideration.

7.2 STEP-II: Project Appraisal Committee (PAC):

7.2.1 The proposals short- listed by the Technical Committee (PMU) will be appraised by the Project Appraisal Committee (PAC) with the following composition:

S.no.	Constitution of PAC	Status /Designation
i.	Advisor	Chairman
ii.	Director of respective National Institutes (NI's).	Member
iii.	One representative from AYUSH Teaching Institution(s).	Member
iv.	As Representative from CCIM (newly constituted NCISM)/CCH (newly constituted NCH)/Yoga Certification Board.	Member
v.	One representative from M/o Skill Development and Entrepreneurship.(Not below the rank of Director/Dy. Secretary)	Member
vi.	Representative from Sub council on AYUSH under Heath Sector Skill Council.	Member
vii.	Director/ Dy. Secy./ Dy. Advisor In-charge of the scheme (M/o Ayush)	Member Convener
Chairman PAC may also invite special invitee (s) as per need.		

7.2.2 If necessary, the Project Appraisal Committee (PAC) may invite the applicant institution/agency for the presentation before the PAC.

7.3 STEP –III: Project Sanctioning Committee (PSC):

7.3.1 The Project proposals recommended by the PAC will be considered for final approval/sanction by the Project Sanctioning Committee comprising:

S.no.	Constitution of PAC	Status /Designation
i.	Secretary (AYUSH)	Chairperson
ii.	Special Secretary/ Additional Secretary/Joint Secretary, AYUSH as the case may be	Member
iii.	Additional Secretary & Financial Adviser (AS&FA) of the Ministry	Member
iv.	Adviser (Chairman PAC), Ministry of AYUSH	Member Convener
v.	Chairperson, Sub council on AYUSH under Health Sector Skill Council	Member
vi.	One representative from M/o Skill Development and Entrepreneurship (not below the rank of Director/Dy. Secretary)	Member

8. Funding Mechanism:

8.1 Funding of the Scheme will be done through the allocated Budget under the Scheme.

Expenditure per training program is as follows:--

S.No.	Financial assistance to be given to trainee	Financial assistance to be given to Training institute
1.	Rs. 5000/- Stipend per participant	i. For up to 1 month duration course –Rs. 1 Lakh ii. For more than 1 month up to 2 month duration course – Rs 2 lakh iii. For more than 2 months up to 3 month duration course – Rs 3 Lakh
2.	Rs. 3500/- Food per participant	
3.	Rs. 500/- Books per participant	
Total per student	Rs. 9000/- (to be given after the completion of the training program and obtaining completion certificate)	

8.2 Total 1818 Skill Development Trainings programmes will be conducted at Selected Centres in 03 years period.

N.B. The above mentioned figures are tentative and not restrictive. The number of the trainings to be conducted may vary as per Expression of Interest and are also interchangeable.

9. Procedure for application:

- (A) **By the Institution/ Agency:** The applicant institution shall submit complete application (only one copy with duly page numbered and spiral bound) in prescribed format. Applications should also be sent in PDF format via e-mail.
- (B) **By the trainees:** Trainees will directly apply to the institution. Institutions will upload the data of the shortlisted trainees on the portal of the Healthcare Sector Skill Council.

10. Release of funds:

10.1 The amount of stipend, food, stationery & books to the participants will be disbursed to the participants after satisfactory and successful completion of training program and obtaining training certificate. Stipend would be disbursed by the Nodal National Institute under the aegis of Ministry of AYUSH in co-ordination with the training institutions through DBT for different States/ UTs.

10.2 (i) Ministry of AYUSH will release funds in advance to the respective Nodal National Institutes to initiate the activity. For this purpose, the National Institutes (NIs) will send the requisition to the Ministry of AYUSH.

(ii) On approval of the proposals of different institutes sent by the National Institutes (NIs) to the Ministry, 75 % of the total administrative cost will be released to the selected Training Institutions/ Agency(ies) by the respective Nodal National Institutes at the commencement of the training program.

(iii) Remaining 25 % will be released by the respective Nodal National Institutes after the successful completion of the training, subject to usual checks and completion of codal formalities.

11. Role and Responsibility of selected Training Institutes/agencies involved in imparting training:

- i. To conduct training on regular basis and in a regulated manner in a conducive environment; as per guidelines and the syllabus approved by the Ministry of AYUSH.

- ii. To comply with the mandatory regulatory and other prescribed requirements for conducting Training Programs.
- iii. To provide all the required logistic support to the participants as finalized by the Ministry of AYUSH.
- iv. To provide data of the trainees to the identified Nodal National Institute under Ministry of AYUSH and to upload the data on the portal as defined by the Ministry of AYUSH.
- v. To ensure that all requisite paraphernalia including well trained manpower, infrastructure, equipment, labs, etc. for conducting training in the AYUSH Sector are in place.
- vi. The institutes imparting the skilling training shall obtain the feedback forms, duly filled in from the participants, after completion of each training program and submit these feedback forms to the respective Nodal National Institute(s) or to the Authority as may be designated/ nominated by M/o AYUSH for further action.
- vii. To facilitate and provide necessary help for inspection of the training institute/centre by the Inspection Body/Team as may be constituted by the M/o AYUSH
- viii. To submit detailed proposal with all enclosures. (In the prescribed format).
- ix. To submit Certificate, duly Notarized to the effect that no criminal proceedings or otherwise by any legal or other Regulatory authority are pending or contemplated against the applicant agency/not black listed on the date of submission of application.
- x. To submit Certificate of abiding to the terms & conditions.
- xi. To ensure that quality of the training is of high standards.

12. Management of the Scheme:

12.1 The Scheme would be implemented, managed, monitored and operationalized by the Central Program Management Unit (CPMU), established in the Ministry of AYUSH, New Delhi, with adequate Manpower both Technical & Adm. etc. The details of the CPMU are at **Annexure- F**.

13. Monitoring Mechanism:

- a. Monitoring of the training program being implemented by empaneled Training Imparting Institutions/Agencies will be done by M/o AYUSH through its various offices or by engaging an agency.
- b. The Monitoring team constituted by Nodal National Institutes will ensure through such means and resources that the skilling programs are properly implemented by the Training Imparting Institutions/Agencies/ Training Centres etc. under the Scheme on *suo-motu* basis.
- c. The team will ensure that the proposed Skill Development Trainings are conducted as per guidelines and the syllabus as approved by the Ministry of AYUSH.
- d. The team will ensure that training is conducted in a regulated manner and in a conducive environment;

14. Technical Advisory Panel:

- 14.1** A panel of technical experts from various disciplines of AYUSH systems and Centre/State Ministries/Departments, Training Imparting Institutions would also be created. The services of such experts would be utilized for advice from time to time and on case to case basis. Honorarium and travelling expenses, if any, would be also provided against their rendered services as per Government of India rules.

15. Time Schedule for Completing the Project:

- 15.1** The Scheme is currently valid up to 31.03.2022 and may be extended further after approval of the Competent Authority.
- 15.2** It will be the responsibility of the training institute approved by the Ministry to adhere to the time schedule for each type of the course as defined in respective course.

16. Saving Clause:

- 16.1** Once the Training Program (s) is/are started by the empaneled training institute (s)/agency (ies) under the extant provisions of the affidavit submitted by the private training institutions, it would be incumbent/ mandatory/ binding on the Training Institutions to complete the training Program (s) as finalized and scheduled.
- 16.2** The M/o AYUSH shall have the right to debar the Training Institution(s) on the basis of fraudulently or mis-represented and corrupt practices. Empanelment of such institutions will be suspended and training program shall be stopped immediately and also take further lawful action, as may deem fit.
- 16.3** Any unauthorized practice by the empaneled Training Institution(s) shall be considered seriously. The Ministry shall have the right to suspend the empanelment of such training institutes.

17. Deliverables:

Skill development training will facilitate the participants in obtaining job opportunities in private as well as Government sector both at National and International level.

18. Penalty:

If in violation of the affidavit or in case of the breach of any provision of the affidavit, empaneled Training Institution(s) does/do not complete the training

Program (s) as finalized and scheduled, terminates their activities prematurely, terminate without notice, or violates obligations set forth in the agreement including the secrecy clause, if any, the institutions shall have to pay a penalty equal to the sum of amount received from the M/o AYUSH, Government of India, till date along with penal interest @ 12% per annum on the said amount till the date of settlement of accounts and M/o AYUSH also shall have the right to assert further damages suffered by it during the currency of the affidavit. Institute will also be black listed.

19. Court Jurisdiction:

In case of any dispute, this shall be subject to the exclusive jurisdiction of court at Delhi/ New Delhi.

20. Application duly completed to be sent to:

(i) Advisor (Ay.), Champion Services Sector Scheme Medical Value Travel, M/o Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha & Homoeopathy, Room No. 207, 2nd Floor, Ayush Bhawan, B-Block, GPO Complex, INA, New Delhi-110023.

OR

(ii) To the respective Nodal National Institute(s).

The List of the Points/Information to be covered in the Proposal:

1. Profile of the Teaching /Training Institute(s):

- I. Names and brief profiles of the proposed Teaching /Training Institute (s) along with their contact details.
- II. The nature and location of existing operations of proposed Teaching /Training Institute. Rationale for proposed Teaching /Training Institute (s) / location in terms of availability of connectivity and influx of the students.
- III. Availability of infrastructure for conducting skill development training programs.
- IV. Audited balance sheets for last 5 years or Chartered Accountant (CA) Certificates that would establish the net worth of each of the proposed Teaching /Training Institute.
- V. A brief note as to why the proposed Teaching /Training Institute (s) is/ are keen to undertake this project, their vision etc.
- VI. In case of accommodation being available with the Teaching /Training Institute(s), proof of possession of accommodation in the form of sale deed/lease deed etc.
- VII. Any other relevant information that would establish the credentials and suitability of the proposed Teaching /Training Institute in the context of the Scheme

2. Project Finance:

The amount of total financial support needed for conducting training programs as per scheme guidelines, not exceeding Rs.3.00 Lakhs (Rs. Three Lakhs) only per training.

3. Criteria for Assessment of proposal:-

- I. Infrastructure in terms of land, building, location of Teaching/Training Institute.
- II. Viability of the Project of Teaching/Training Institution in terms of its operations of the core facilities, Availability of Manpower (well qualified & expert teaching/training faculty) and supporting staff.
- III. Experience and standing of the Teaching/Training Institute, in conducting training programs in the past and programs in hand of different Central/State Ministries/Departments etc..
- IV. Major achievements of the Training Institutions including placements during the last 05 years.

ANNEXURE – B

APPLICATION FORM FOR EMPANELMENT OF INSTITUTION(S) FOR CONDUCTING TRAINING PROGRAMS FOR SKILL DEVELOPMENT IN AYUSH SECTOR UNDER THE CHAMPION SERVICES SECTOR SCHEME

1. Name of the organization /Institution.
2. Address / E-mail / Phone:
3. Registration no. and date: (as Society/NGO/Trust/Company Act).
4. Abstract of Audited Annual Accounts of last five years:
5. Name of the skill development program to be conducted.
6. Executive summary of the proposal point-wise (not exceeding five pages) as per Annexure - G.
7. Documents as per check-list at Annexure-C.
8. Year of Establishment of the Institution.

Signature

(Name and Seal of the head / authorized officer of the organization)

CHECK LIST

**Central Sector Scheme for Skill Development under Champion Services Sector Scheme for
Medical value Travel**

(Please tick mark the documents enclosed with the Proposal (Yes/No) in the relevant column)

Sr. No	List of documents/information (Documents to be attached)	Document (s) information given		Remarks, if any. any
		Yes/	No	Page No.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Application in the prescribed format.			
2.	Attested copy Registration Certificate under Societies Registration Act/ Trust/ Companies Act.			
3.	Attested copy of Bye-laws of the Institute.			
4.	Attested copies of Audited Statement of Accounts for the last 5 years showing income and expenditure, assets, liabilities of the applicant that would establish the net worth of training.			
5	Certificate of Registration as teaching/training institute with Central/State Government/Regulatory Body.			
6	Bond on Rs. 100/- stamp paper duly notarized to abide by all terms & conditions of the guidelines of the scheme, sanction letter, GFR, component wise approved project cost and year-wise deliverables to be achieved under the project. The validity of the Bond should not be less than 03 years. (Annexure-D)			
7	Certificate of Experience of the training institute in conducting training programs in Health Care Services/Sector (including AYUSH Sector).			
8.	Certificate on Rs. 100/- stamp paper duly Notarized to the effect that no criminal proceedings or otherwise by any legal or other authority/Regulatory authority are pending or			

	contemplated as per format at Annexure-E.					
9.	Bank Account details including bank statement of last 1year.					
10.	Any Assistance/GIA taken from the Government/Foreign Government, along with the details of the project(s), details of sanctions and date (s) etc. and Utilization Certificate (UC)/ present status of thereof;					
11	Details of the existing infrastructure:					
12.	Details of technical and other personnel:					
	Sr. No.	Name	Designation	Date of Appointment		
13.	Past activities and achievements of the organization during the last five years (year-wise)					
14.	Justification as to why the proposed Teaching /Training Institute (s)/ are is/are keen to undertake this project, their vision etc					
15.	In case of the accommodation available with organization/institute, proof of possession of land/accommodation in the form of sale deed/lease deed.					
16.	Proof of possession of other infrastructure for conducting the training programs including power, water, teaching faculty, supporting staff, equipment/labs etc.					
17.	Rationale for proposed Teaching/Training Institution's location in terms of availability of connectivity by road, rail, air and waterways and influx of the students.					
20.	The amount of total Financial assistance needed for the Training Programs, as per the Scheme Guidelines.					
21.	Any other relevant information that would establish the credentials and suitability of the institute in the context of the Scheme					

ANNEXURE – D

(To be furnished on Rs.100/- stamp Paper)

FORMAT OF BOND

KNOW ALL MEN BY THESE PRESENTS THAT we, the _____

_____ (Name of the organization as in Registration Certificates),
an

Association registered under the _____ (name of
the

Registration Act) having been registered by the office of _____ (Name
and

full address of Registering Authority), vide Registration Number _____ dated _____ office
at

_____ in the State of _____ (herein after called the obligor/obligors)
are held and firmly bound to the President of India (hereinafter called the Government) to
execute this Bond in favor of Union Ministry of AYUSH for entire amount of Rs.
(Rs. In words) applied for vide application dated

The obligor is, however, is willing to accept the proposed amount or any other amount approved/ sanctioned by the Government. The obligor is willingly executing this Bond of proposed amount with the stipulation that obligor will be bound up to this amount or by the actual amount approved /sanctioned by the Government, whichever is less. The obligor is also willing to accept all terms and conditions mentioned in the “Letter of sanction” as per GFR or otherwise, approved project cost and year-wise deliverables to be achieved, to be issued by the Government including to refund the entire sanctioned amount with interest @12% per annum (Twelve percent per annum) in case of mis-utilization/diversion of funds or for any other reason.

2. Now the condition of the above written obligation is such that if the obligors duly fulfill and comply with all the conditions mentioned in the letter of sanction, then above written bond or obligations shall be void and of no effect. But otherwise, it shall remain in full force and virtue. If a part of the grant/amount released is left unspent after the expiry of the period within which it is required to be spent, the obligors agree to refund the unspent balance along with interest at the rate of 12% (Twelve percent) per annum unless it is agreed by the sanctioning authority to be carried over to the next financial year. The amount of grant shall be refunded along with interest earned thereon.

3. The Organization/ Society/ Trust agrees and undertakes to surrender /pay to the Government the monetary value of all such pecuniary or other benefits which it may receive or derive/have received or derived through / upon unauthorized use (such as letting out premises for adequate or less than adequate consideration or use of the premises for any purpose other than that, mis-utilization/diversion of funds for which the grant/amount released was intended, i.e. the amount released for the establishment of the project/infrastructure/equipment/manpower etc. or other assets created /acquired/ constructed largely from out of the Government grant/amount released. The decision of the Secretary to the Government of India in the Ministry of AYUSH or administrative Head of the Department concerned shall be final and binding on the Organization/Society/ Trust, in respect of all matter relating to the monetary value mentioned above to be surrendered/ paid to the Government.

4. The President/Secretary/Member (s) of the Executive Committee of the grantees will:

- a. abide by the conditions of the grant in aid/amount released by the target dates, specified in the letter of sanction and
- b. not divert the grants or entrust execution of the scheme or work concerned to other institution (s) or organization (s) ; and
- c. abide by any other conditions specified in the agreement governing the grant-in-aid/amount released; .

5. AND THESE PRESENTS ALSO WITNESS THAT

- i. The decision of the Secretary to the Government of India in the Ministry of AYUSH on the question whether there has been breach or violation of any of the terms and conditions mentioned in the sanction letter shall be final and binding on the obligors; and

In witness whereof these presents have been executed as under on behalf of the obligors and day herein above written in pursuance of the Resolution No.-----dated----- passed by the Governing Body/ Executive Committee of the obligors.

Signed this _____ day of _____ in the year _____ .

Signature _____

Name of President/Secretary _____

Date and Stamp _____

Name of the Obligor Association as
registered Full _____ Mailing _____

Address _____

—

Telephone Number/Mobile No. _____

Email

address _____

Fax Number

(In the presence of) Witness name, address, signature and date

i.

ii.

Note: To be signed and stamped by President or Secretary of the grantee with date on each page.

For official use of Ministry of AYUSH

**Accepted for and on behalf of the President of India
Signature**

Under Secretary to Govt. of India

**CERTIFICATE AS UNDER IS REQUIRED ALONG WITH APPLICATION FROM
THE HEAD OF THE ORGANIZATION**

Certified that:

- a. The organization shall abide by all the 'Terms and Conditions' issued by the Ministry of AYUSH, / Government of India from time to time.
- b. All records and reports related to the project have been maintained separately and shall be shown and furnished as and when required by the Ministry of AYUSH or its authorized representatives.
- c. Project shall be open for evaluation of physical progress and utilization of funds at the discretion of Ministry of AYUSH.
- d. The undersigned shall be responsible for the authenticity of the information & documents furnished in the application and proposal.
- e. Ministry of AYUSH shall have the right to recover the financial assistance provided with 12% interest from the date of release of amount of financial assistance for any default or deviation from the terms & conditions of sanction of grant of the project and may also take any other action, as deem fit, in the facts and circumstances of the case.
- f. Accounts: - Separate accounts for the project will be maintained.
- g. No Criminal proceeding is pending or otherwise by any legal or other authority is pending or contemplated.

Signature

Name and Stamp of the Head of the organization

Phone No.....

Fax No.....

E-mail:-----

ANNEXURE-F

Structure of Central Program Management Unit (CPMU)

S.No.	Name of the post	No. of Posts	Monthly remuneration (In Rs.)	Age limit	Qualification
1.	Senior Program Manager (Technical)	01	75000/- Provision of annual enhancement of 05% based on satisfactory performance to be decided by the Competent Authority.	Not exceeding 50 years on the date of advertisement in the news paper	Post-Graduation in any of Ayurveda, Siddha, Unani and Homoeopathy system from an institution/ university recognized under IMCC Act, 1970 / HCC Act, 1973 and have enrolled in the State Register for ISM / Homoeopathy. Desirable: i. Having experience of working in Healthcare Sector Skill Council or Directorate General of Educational Training for 2 years ii. Having experience of working State Department/ Ministry/ Research Councils/ Public Sector Undertakings for 2 years.
2.	Junior Program Manager (Technical)	02	50000/- Provision of annual enhancement of 05% based on satisfactory	Not exceeding 50 years on the date of advertisement in the news paper	Essential Qualification: Graduation in any of Ayurveda, Siddha, Unani and Homoeopathy system from an institution/ university recognized under

			performance to be decided by the Competent Authority.		IMCC Act, 1970 / HCC Act, 1973 and have enrolled in the State Register for ISM / Homoeopathy. Desirable: Having experience of working in any State department/ Ministry/ Research Councils/ Public Sector Undertakings for 3 years.
3.	Program Manager (Administrative)	02	50000/- Provision of annual enhancement of 05% based on satisfactory performance to be decided by the Competent Authority.	Not exceeding 50 years on the date of advertisement in the news paper	Essential Qualification: MBA (HR/foreign trade/tourism/International business) -02 Desirable: Having experience of working in any State department/ Ministry/ Research Councils/ Public Sector Undertakings for 2 years in this respective field of specialization.
4.	Data Assistant	01	20000/- Provision of annual enhancement of 05% based on satisfactory performance to be decided by the Competent Authority.	Not exceeding 40 years on the date of advertisement in the news paper	Essential Qualification: i. Graduation from recognized institute or University with sound knowledge of Computer Application/ IT. ii. Knowledge of MS Office, MS Word, MS Power Point and MS Excel and other computer applications. iii. Having good typing

					speed i.e. 35 words per minute in English and 30 words per minute in Hindi
5.	Multi-Tasking Staff (MTS)	01	16000/- Provision of annual enhancement of 05% based on satisfactory performance to be decided by the Competent Authority.	Not exceeding 40 years on the date of advertisement in the news paper	Qualification: 10+2 or equivalent from a recognized board

N.B.TDS and other taxes will be levied as applicable.

Executive Summary Format:

1. Name of the Institute
2. Contact Details
3. Affiliation
4. Year of establishment
5. Previous experience of conducting skill development training, if so, the details of the same.
6. Whether having own ASU&H hospital or tie up with any ASU&H hospital for imparting hands on training.
7. Audited account sheet for last five years.
8. Account statement of last one year.
9. Name of the course in which skill development training is to be imparted
10. Available infrastructure/ manpower in the concern department for skill development training.
11. Whether having accommodation facility, if so, the details thereof.